

रीडर

17/20 प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण पत्रावली
 आज रत्न की गई। ककील उमय पक्ष उप० नहीं
 हैं। बार-बार आवाज बिलारी गई। कोई बाजि
 नहीं हैं। वादी का दावा असम बाजरी एवं असम
 पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल
 भूगत लेख बाड लकील दफ्तर दाखिल की जावै

र जिला कलेक्टर
 बामनास (जिला-स०गा०)

